10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१६ पुनराविलोकन (रिव्यू)

महेश प्रसाद पुत्र जगन्नाथ वैश्य, निवासी ग्राम पलेरा हाल झांसी (उत्तरप्रदेश) ।

------ प्रार्थी

बिरुध्द

१- रामलाल पुत्र जगन्नाथ वैश्य,
२- भगवान दास पुत्र जगन्नाथ वैश्य,
निवासी गण ग्राम पलेरा तेहसील पलेरा, जिला टीकम गढ़ (मध्यप्रदेश) ।

------ प्रतिप्रार्थी०

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (पीठासीन अधिकारी माननीय श्री एम०के० सिंह, सदस्य) व्दारा प्र०क्र० २२११-एक/१६ में पारित आदेश दिनांक १६-७-१६ के बिरुध्द पुनराविलोकन आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९।

श्रीमान् जी,

पुनराविलोकन आवेदनपत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

१- यहकि, इस माननीय न्यायालय व्दारा पारित विवादित आदेश अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी भूल पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

२- यह कि, विवादित आदेश भू-राजस्व संहिता की धारा ५० के प्रावधानों पर विचार किये बिना, प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है, जो अभिलेख को देखने से स्पष्ट है । यह भूल ऐसी भूल है जो अभिलेख से प्रत्यक्षदर्शी है ।

३- यह कि, अभिलेख आहुत किये बिना तथा उनका परीक्षण किये बिना तथ्यों के सम्बन्ध में पारित विवादित आदेश निरस्ती

प्रक · क्रमांक पुर्नविलोकन-2613-एक/2016 जिला टीकमगढ़ महेश विरूद्ध रामलाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(2)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नविलोकन-2613-एक/2016 जिला टीकमगढ़ महेश विरूद्ध रामलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-10-2018 16.10.18 1/2 3	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17-09-2018 पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का रिट पिटीशन नम्बर 7380/2017 में पारित आदेश दिनांक 17-07-2017 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-01-2017 को उचित पाया । 2. इस न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 100/अपील/2012-13 पारित आदेश दिनांक 20-06-2016 के विरूद्ध निगरानी प्रकरण प्रांरभ किया गया था । जिसमें पूर्व में दिनांक 19-07-2016 को अंतिम निर्णय पारित किया गया था एवं दिनांक 20-01-2017 के आदेश से 19-07-2016 का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुर्नविलोकन में लिया गया था । जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में श्री रामलाल पुत्र जगन्नाथ वैश्य के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 7380/2017 दायर की गई थी । जो दिनांक 17-07-2017 को खारिज हुई थी । 3. प्रकरण में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20-01-2017 के अनुपालन में अनुविभागीय अधिकारी जतारा के आदेश दिनांक 20-06-2016 के विरूद्ध निगरानी प्रकरण में कार्यवाही कर निर्णय लिया जाना है । वर्तमान में इस न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-	

9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार -

"1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"

5. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक सूचित हो ।

16.10.18

(आर.के. जैन)
सदस्य